राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3534–पीबीआर / 14 **जिला** भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31–10–2014	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदिका की ओर से यह निगरानी तहसील न्यायालय के सीमांकन पंचनामा दिनांक 24–10–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 16–10–14 को प्रस्तुत की गई है, जबकि प्रकरण में दिनांक 16–12–13 को अंतिम सीमांकन आदेश पारित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में आवेदिका को सीमांकन पंचनामा दिनांक 24–10–2013 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत न कर अंतिम सीमांकन आदेश दिनांक 16–12–13 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करना चाहिए थी । इस संबंध में आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 16–12–14 को आदेश पारित किया गया है, जबकि 16–12–14 की तिथि अभी आयी ही नहीं है, क्योंकि प्रथमतः दिनांक 16–12–14 की तिथि में ओवर रायटिंग है द्वितीय जब दिनांक 24–10–2013 को पंचनामा तैयार हो चुका था, तब सीमांकन आदेश दिनांक 16–12–13 को ही पारित किया गया मान्य होगा । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	31/10/14

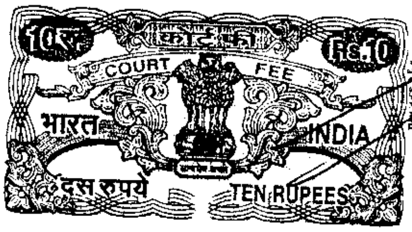

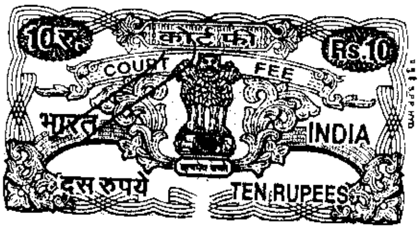

समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, भोपाल केम्प (म.प्र.)

R-3534-PBR/14

पुनरीक्षण याचिका कमांक................/2014

श्रीमती एम. उमा माकेश्वरी पत्नि श्री आर. मारी मुत्तू,
आयु-वयस्क, निवासी-14, कंचन नगर, खजूरी कलां,
भोपाल (म.प्र.) ------------- आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

श्री रंगवेश सिंह आत्मज श्री एन.के. सिंह,
आयु-वयस्क, निवासी-ग्राम-खजूरी कलां,
तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.) ------------अनावेदक/उत्तरदाता

श्री रवि न्द्र सेन अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 16-10-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अनावेदक/उत्तरदाता द्वारा धारा-129 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959 के तहत सीमांकन प्रकरण कमांक-14/अ-12/13-14 में स्वीकृत आदेश दिनांक 24/10/2013 से दुखित होकर यह पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखत तथ्यों पर आधारित होकर प्रस्तुत की जा रही है :-